न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 193/2018

अनवान :

1. मिसरीसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. विजयसिंह ढाका मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. परमेश्वरी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. सरजीत पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
6. राजेन्द्रकुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. भागादेवी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पुनियां : वादी

वकील श्री उम्मेद मोठसराः **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 26.9.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा मोठसरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 84/86 के खसरा सं. 88 की 0.708 हैक्टर, खसरा सं. 104 की 1.048 हैक्टर, खसरा सं. 186/1 की 2.251 हैक्टर, खसरा सं. 200/1 की 0.949 हैक्टर, खसरा सं. 209 की 1.378 हैक्टर कुल किता 5 की 6.334 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी मेहरचन्द वल्द श्योलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी वादभूमि सम्वत 2074–778 संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

उक्त वादभूमि पहले वादी के दादा श्योलाल की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा श्योलाल के देहान्त होने के उपरान्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मेहरचन्द के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज करवा ली गई थी। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथ उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। ऐसे में वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनु.)

वादभूमि में से खसरा सं. 209 की शेष वादभूमि की आय आमदनी एवं संयुक्त की आय आमदनी से खरीदशुदा भूमि है जो भी तन्हा प्रतिवादी मेहरचन्द जो कर्ता खानदान है, के नाम से ही दर्ज चली आ रही है। वादभूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था, जिसमें प्रतिवादी सन्तोष ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी मेहरचन्द एवं वादी के भाई विजयकुमार व स्व. रामप्रताप के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था तथा इसी प्रकार वादभूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है। वादी के भाई रामप्रताप के देहान्त होने पर रामप्रताप के हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी मेहरचन्द के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा मोठसरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 84/86 के खसरा सं. 88 की 0.708 हैक्टर, खसरा सं. 104 की 1.048 हैक्टर, खसरा सं. 186/1 की 2.251 हैक्टर, खसरा सं. 200/1 की 0.949 हैक्टर, खसरा सं. 209 की 1.378 हैक्टर कुल किल्ला 5 की 6.334 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी मेहरचन्द वल्द श्योलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है उसके वादी एवं प्रतिवादी मेहरचन्द तथा प्रतिवादी सं. 3विजयसिंह ढाका 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। बाद घोषणा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व प्रतिवादी सं. 6 व 7 ने जवाबदावा तथ प्रतिवादी सं. 8 ने अपना ईकबालदावा पेश किया जो पत्रावली पर लिया गया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में मिसरीसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवास मोठसरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी मोठसरा सम्वत 2076 खाता संख्या 84/86 प्रदर्श 1, जमाबंदी मोठसरा सम्वत 2053 खाता संख्या 104/103 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र मेहरचन्द प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्रताप प्रदर्श 4, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 4ए, प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा मोठसरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 84/86 के खसरा सं. 88 की 0.708 हैक्टर, खसरा सं. 104 की 1.048 हैक्टर, खसरा सं. 186/1 की 2.251 हैक्टर, खसरा सं. 200/1 की 0.949 हैक्टर, खसरा सं. 209 की 1.378 हैक्टर कुल किता 5 की 6.334 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी मेहरचन्द वल्द श्योलाल के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोठसरा के खाता संख्या 84/86 के खसरा सं. 209 की 1.378 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी मेहरचन्द को खातेदार काश्तकार तथा खसरा सं. 88 की 0.708 हैक्टर, खसरा सं. 104 की 1.048 हैक्टर, खसरा सं. 186/1 की 2.251 हैक्टर, खसरा सं. 200/1 की 0.949 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी मेहरचन्द का नाम कलमजन कर उक्त भूमि में वादी मिसरीसिंह व प्रतिवादी विजयसिंह को सुयक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी परमेश्वरी, सरजीतसिंह, एवं राजेन्द्र कुमार के नाम सुयक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तथा वाद भमि में प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है । दावा में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी मिसरीसिंह एवं प्रतिवादी विजयसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 परमेश्वरी, सरजीत, राजेन्द्र कुमार को इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 193/2018

अनवान :

1. मिसरीसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. विजयसिंह ढाका मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. परमेश्वरी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. सरजीत पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
6. राजेन्द्रकुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. भागादेवी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोठसरा के खाता संख्या 84/86 के खसरा सं. 209 की 1.378 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी मेहरचन्द को खातेदार काश्तकार तथा खसरा सं. 88 की 0.708 हैक्टर, खसरा सं. 104 की 1.048 हैक्टर, खसरा सं. 186/1 की 2.251 हैक्टर, खसरा सं. 200/1 की 0.949 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी मेहरचन्द का नाम कलमजन कर उक्त भूमि में वादी मिसरीसिंह व प्रतिवादी विजयसिंह को सुयक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी परमेश्वरी, सरजीतसिंह, एवं राजेन्द्र कुमार के नाम सुयक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तथा वाद भमि में प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है । दावा में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी मिसरीसिंह एवं प्रतिवादी विजयसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 परमेश्वरी, सरजीत, राजेन्द्र कुमार को इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.9.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़